फाइल नं0-71-1002(002)/1/2022

55/2022/I/152117/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 31 मार्च, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में वैश्विक महामारी कोविड-19/ओमीक्रोन तृतीय लहर के दृष्टिगत रोगीहित/जनहित एवं एन0बी0सी0 कोड (नेशनल बिल्डिंग कोड) के अनुसार पुराने उपकरणों/फायर फाइटिंग सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में वैश्विक महामारी कोविड-19/ओमीक्रोन तृतीय लहर के दृष्टिगत रोगीहित/जनहित एवं एन0बी0सी0 कोड (नेशनल बिल्डिंग कोड) के अनुसार पुराने उपकरणों/फायर फाइटिंग सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु रू0 2,60,01,886/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-13/2022/I/131729/2022-71-1002(002)/1/2022, दिनॉक 13.01.2022 द्वारा अवमुक्त की गई है।

2- आपके प संख्या–एमई/बजट/2021-22/एमई/बजट/2021-22/1055, दिनॉक 24.03.2022 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में वैश्विक महामारी कोविड-19/ओमीक्रोन तृतीय लहर के दृष्टिगत रोगीहित/जनहित एवं एन0बी0सी0 कोड (नेशनल बिल्डिंग कोड) के अनुसार पुराने उपकरणों/फायर फाइटिंग सिस्टम एवं स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजीलेखा पक्ष में मानक मद-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एंव इलेक्ट्रिक सेफ्टी में मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष रू0 1,39,60,000/- (रू0 एक करोड़ उनतालिस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22.03.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/संस्था की होगी।
5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6- शासनादेश संख्या-13/2022/I/131729/2022-71-1002(002)/1/2022, दिनॉक 13.01.2022 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसंधान-105-एलोपैथी-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिक सेफ्टी-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।"

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
8- श्री कुलदीप रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।